राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः— शकुन्तला चौधरी मुकदमा नम्बरः—58/2020

1. श्रीमती कमला आयु 59 वर्ष पुत्री सुखराम उर्फ सुखदेवा पत्नी चिमनाराम जाति जाट निवासी 100—101 जक्ष्मण कॉलोनी श्यामनगर जयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्रेम आयु 52 वर्ष पुत्री सुखराम उर्फ सुखदेवा पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी प्लॉट न. 24 ऑफिसर कैम्पस विस्तार, जयपुर (राज.)
3. श्रीमती अनिता आयु 44 वर्ष पुत्री सुखराम उर्फ सुखदेवा पत्नी अशोक जाति जाट निवासी ए—537 सिद्धार्थ नगर जयपुर (राज.)
4. श्रीमती शान्ती आयु 82 वर्ष पत्नी स्व. सुखराम उर्फ सुखदेवा जाति जाट निवासी कुलहरियों की ढाणी उपतहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
5. अंकित कुलहरि आयु 28 वर्ष पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी कुलहरियों की ढाणी उपतहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
6. अनुराम कुलहरि आयु 27 वर्ष निवासी कुलहरियों की ढाणी उपतहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

—वादीगण

बनाम

1. सत्यपाल सिंह आयु 56 वर्ष पुत्र सुखराम उर्फ सुखदेवा जाति जाटा निवासी कुलहरियों की ढाणी उपतहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिसाऊ पोस्ट बिसाऊ जिला झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबंधक
3. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

—प्रतिवादीगण

दावा—घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

अधिवक्ता वादी
श्री रणजीत सिंह एडवोकेट
अधिवक्ता प्रतिवादीगण
श्री संदीप कामला एडवोकेट

निर्णय दिनांक 07.01.2021

वादीगण के द्वारा वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कुलहरियों की ढाणी मैं श्योजी पुत्र बालाराम उर्फ बालुराम नाम का व्यक्ति था। उक्त श्योजी के सुखराम उर्फ सुखदेवा हुआ जिसका देहान्त दिनांक 20/06/2020 को हो गया उसका लड़का प्रतिवीद गण सत्यपालसिंह व लड़कियां वादीगण 1 से 3 है व वादीगगण 4 उक्त सुखराम उर्फ सुखदेवा की पत्नी है। प्रतिवादीगण के लड़के वादीगण नम्बर 5 व 6 है। प्रतिवादी गण सत्यपाल सिंह व वादीगण नम्बर 1 व 2 का जन्म

दादा श्योजी के जीवन काल में ही हो गया था। इस कारण पहले श्योजी व उसके सुखराम उर्फ सुखदेवा व प्रतिवादीगण का सयुंक्त हिन्दु परिवार था जिसका कर्ता श्योजीराम था। श्योजीराम के देहान्त हो जाने के बाद वादीगण न. 5 व 6 व सुखराम उर्फ सुखदेवा व प्रतिवादीगण न. 1 का सयुक्त हिन्दु परिवार रहा व इस सयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता पाले वादीगण नम्बर 1 से 3 का पिता सुखराम उर्फ सुखदेवा रहा व कुछ अरसे से सुखराम उर्फ सुखदेवा अत्यधिक वृद्ध हो जाने व शारीरिक रूप से कमजोर हो जाने के कारण सयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता का कार्य करने की स्थिति में नहीं रहा। प्रतिवादी नम्बर 1 सत्यपाल सिंह शराब का सेवन करने का आदि हो गया और इस नशे की प्रवृति के कारण चल सम्पति को नशे में नष्ट करना शुरू कर दिया व इस बाबत् प्रतिवादी न. 1 रकम वसुल करने के लिये अपने पिता पर अवैध दबाव बनाता रहा। इन परिस्थितियों में सुखराम उर्फ सुखदेवा ने इस सयुक्त हिन्दु परिवार का संचालन वादीगण न. 5 व 6 को दे दिया क्योंकि प्रतिवादी न. 1 सत्यपाल सिंह आपेन वैध्य दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है।

ग्राम पिलानी खुर्द की सरहद में जमीन गत ख.न. 19/1 रकबा 13 बीघा 8 बिश्वा हाल ख. न. 18 रकबा 3.39 हैक्टर है। यह जमीन पहले वादीगण न. 5 व 6 के परदादा व वादीगण न. 1 से 3 के दादा श्योजीराम की खातेदारी की थी जो उतराधिकार में पिता से मिली थी। श्योजीराम के देहान्त हो जोन के बाद यह जमीन कर्ता की हैसियत से सुखराम उर्फ सुखदेवा के दर्ज रही। उक्त सयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक सम्पति होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार इस जमीन में सुखराम उर्फ सुखदेवा का 1/5 हिस्सा व वादीगण नम्बर 1 से 3 का 3/5 हिस्सा रहा। अर्थात् इस जमीन में सुखरम उर्फ सुखदेवा का देहान्त हो जाने के बाद उसका 1/5 हिस्सा उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण न. 1 से 4 व प्रतिवादी न. 1 को समान रूप से मिला। इस प्रकार इस जमीन में वादीगण न. 1 से 3 का 18/25 हिस्सा व वादी न. 4 का 1/25 हिस्सा व वादीगण न. 5 व 6 का 12/75 हिस्सा व प्रतिवादी न. 1 का 6/75 हिस्सा है व इसी प्रकार सह खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

ग्राम कुलहरियों की ढाणी की सरहद में जमीन गत ख.न. 155/2 रकबा 7 बीघा 16 विश्वा, हाल ख.न. 168 रकबा 1.97 हैक्टर है। ग्राम कुलहरियों की ढाणी पहले ग्राम पिलीन खुर्द के तहत थी। यह जमीन भी श्योजीराम की थी उक्त अनुसार इस जमीन में भी वादीगण न. 1 से 3 का 18/25 हिस्सा व वादी न. 4 का 1/25 हिस्सा व वादीगण न. 5 व 6 का 12/75 हिस्सा व प्रतिवादी न. 1 का 6/75 हिस्सा है व इसी प्रकार सह खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

ग्राम कबीरसर की सरहद में जमीन गत ख.न. 63 रकबा 26 बीघा हाल ख.न. 187 रकबा 6. 57 हैक्टर है। यह जमीन भी श्योजीराम की थी और उक्त अनुसार इस जमीन में भी वादीगण न. 1 से 3 का 18/25 हिस्सा व वादीगण न. 4 का 1/25 हिस्सा व वादीगण न. 5 व 6 का 12/75 हिस्सा व प्रतिवादी न. 1 का 6/75 हिस्सा है व इसी प्रकार सह खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण नम्बर 5 व 6 ने प्रतिवादी न. 1 को शराब के सेवन में अत्यधिक रूपये खर्च करने व अत्यधिक रूपये देने से मना कर दिया। इस पर वादीगण नम्बर 5 व 6 के दादा सुखराम उर्फ सुखदेवा पर प्रतिवादी न. 1 वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर विवादित जमीन को विक्रय कराने का दबाव बनाने लगा। प्रतिवादी न. 1 को समझाना चाहा तो दिनांक 30/07/2019 को प्रतिवादी न. 1 ने वादीगण न. 5 व 6 के सह खातेदारी अधिकारों से इन्कार कर दिया और धमकी दी कि इस साल की

स काटकर स्वंय विक्रय करेगा। वादीगण नम्बर 5 व 6 ने स्वर्गीय सुखराम उर्फ सुखदेवा ने वादीगण नम्बर 5 व 6 को कहा कि विधि समत तरीके से दावा कर अपनी खातेदारी दर्ज करवा ले ताकि प्रतिवादी न. 1 अपने हिस्से से अधिक पैदावार को नशे में नष्ट न कर सके। प्रतिवादी न. 1 ने वादीगण नम्बर 5 व 6 को उपयोग व उपभोग से वंचित करने की धमकी भी दी। इस कारण वादीगण न. 5 व 6 अपने हकूफ की रक्षार्थ यह दावा कर रहे है। इस प्रकार वादीगण उक्त अनुसार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी न. 1 से अभिभाषक गण ने जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी न. 1 ने जवाब दावा में वादीगण के दावें को स्वीकार किया। प्रतिवादीगण न. 2 व 3 के खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही गई। इस कारण कोई विवाद नहीं आने से विवाद बिन्दु नहीं बनता है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पेश दस्वातेजात से वादीगण का वाद साबित पाया जाता है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर जमीन ख.न. 18 रकबा 3.39 हैक्टर वाके ग्राम पिलानी खुर्द, जमीन ख.न. 168 रकबा 1.97 हैक्टर वाके ग्राम कुलहरियों की ढाणी, जमीन ख.न. 187 रकबा 6.57 हैक्टर वाके ग्राम कबीरसर इन समस्त जमीनों में वादीगण न. 1 से 3 को 18/25 हिस्से का व वादी न. 4 को 1/25 हिस्से का व वादीगण न. 5 व 6 का 12/75 हिस्से का व प्रतिवादी न.1 का 6/75 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। व प्रतिवादी न. 1 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वादीगण के हिस्से में अन्य को काश्त करने व उपयोग व उपभोग बाधा न डाले और न अन्य को हस्तान्तरित करे। घोषणा के मुताबिक नामान्तरण दर्ज करे के लिये तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। निर्णय के मुताबिक डिक्री मुतजीब की जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर